

31915

सकल कार्यकारी कार्य
अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों
में ध्यान दे दिया है। इत्यादि होकर
दिनांक 21/12/15 को पेश हो।

5

02.12.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय
में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के
नाम से अलग-अलग समय पर तीन
बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित
नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र
को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम-
पैरवी व अदम-हाजिरी में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो व नम्बर
से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

